(वाद सं0–BHRC/Comp.5160/2016)

04.03.2022

प्रसंगाधीन मामला, पटना जिलान्तर्गत दानापुर, प्रखंड के पुरानी पानापुर गाँव के कटाव पीड़ित 159 महादलित परिवार को पुर्नवास करने से संबंधित परिवादी, रंजीत राम के परिवाद से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, पटना से प्रतिवेदन की माँग की गई।

उक्त पर अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में दानापुर में महादलित वास भूमि रहित योजना अन्तर्गत प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से पर्चा उपलब्ध कराया गया था। लेकिन उनलोगों द्वारा बंदोबस्त भूमि पर बसने से इंकार कर दिया गया। तदोपरांत जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में इस संबंध में आयोजित बैठक की निर्णय के आलोक में अंचलाधिकारी, दानापुर द्वारा मौजा– हथिया कांड में क्रय नीति के तहत भूमि का क्रय कर बसाने संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसपर जिलाधिकारी, पटना से आवश्यक दिशा–निर्देश की माँग की गई है।

राज्य आयोग द्वारा इस संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना से प्रतिवेदन की माँग की गई। जिलाधिकारी, पटना द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के उसी प्रतिवेदन की प्रति को अनुलग्नित कर राज्य आयोग को उपलब्ध कराया गया है, जो पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर, द्वारा राज्य आयोग को उपलब्ध कराया गया था।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि अभी भी 159 महादलित परिवारों को कोई भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, पटना से अद्यतन प्रतिवेदन की माँग की गई। जिलाधिकारी, पटना को कई बार स्मारित किए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा परिवादी के प्रत्युत्तर पर कोई प्रतिवेदन राज्य आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया। तदुपरांत परिवादी को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी परिवादी आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। परिवादी को नोटिस निर्गत करते हुए यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि अगर वे आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो उनके मामले को बंद कर दिया जाएगा।

परिवादी के आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होने से यह प्रतीत होता है कि परिवादी की समस्या का समाधान हो चुका है।

अतः उक्त के आलोक में इस प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक